रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1639] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2016/आषाढ़ 10, 1938
No. 1639] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2016/ ASADHA 10, 1938

indiacode

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 2016

का.आ. 2268(अ).—यत: योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 का 37) (जिसे इसके पश्चात, उपर्युक्त अधिनियम उल्लिखित किया जाएगा) जनवरी, 2015 के 22वें दिन लागू हुआ;

और यत: उपर्युक्त अधिनियम की धारा 27 के खण्ड (क) में प्रत्येक विद्यालय के स्टाफ की नियुक्ति यदि नियुक्ति शैक्षणिक स्टाफ पर सहायक प्रोफेसर के पद पर की जाती है, या यदि नियुक्ति अशैक्षणिक स्टाफ के प्रत्येक संवर्ग, जिसके वेतनमान का अधिकतम ग्रुप (क) के अधिकारियों के प्रचलित वेतनमान से अधिक हो, में बोर्ड द्वारा की जाती है; करने का उपबन्ध है;

और यत: धारा 27 के खण्ड (क) के उपबन्धों को लागू करने के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित कठिनाई उत्पन्न हुई है कि अन्य पदों अर्थात प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर इत्यादि को उक्त धारा में सम्मिलित नहीं किया गया है;

और यत:, उक्त अधिनियम की धारा 42 के खण्ड (ग) में आगे उपबन्ध है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व प्रत्येक विद्यालय का शासी बोर्ड, वित्त समिति, शैक्षणिक परिषद, भवन और निर्माण समिति तथा अन्य ऐसी समितियां जो कार्य कर रही थीं इसी प्रकार तब तक निरन्तर कार्य करना जारी रखेंगी जब तक कि विद्यालय के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत नया बोर्ड गठित नहीं हो जाता लेकिन इस अधिनियम के अन्तर्गत नए बोर्ड का गठन होने पर प्रत्येक विद्यालय के शासी बोर्ड, वित्त समिति, शैक्षणिक परिषद, भवन और निर्माण समिति तथा अन्य ऐसी समितियों के सदस्य, जो गठन से पूर्व पद पर थे, पद पर नहीं रहेंगे;

और यत: धारा 42 के खण्ड (ग) के उपबन्धों को लागू करने में निम्नलिखित कठिनाई उत्पन्न हुई है अर्थात विद्यालय के लिए एक बार नया बोर्ड गठित होने पर प्रत्येक विद्यालय की वित्त समिति, शैक्षणिक परिषद, कार्यकारी परिषद, भवन और

निर्माण समिति तथा अन्य ऐसी समितियां, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पहले तक कार्य करती थीं, अकार्यात्मक हो जाएंगी जिससे इन महत्वपूर्ण समितियों के अभाव में रिक्तता की स्थिति हो जाएगी और इसके अतिरिक्त, वित्त समिति और भवन तथा निर्माण समिति, जिनकी कल्पना योजना और वास्तुकला अधिनियम, 2014 के प्रथम परिनियम के अन्तर्गत की गई थी, जिनको अन्तिम रूप देने में कुछ और समय लगेगा। तथापि, ये समितियां अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों के निर्वहन व स्कूल के कार्यात्मक पहलुओं के लिए आवश्यक हैं तथा इन समितियों की कार्यात्मकता अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

अत: अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 40 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त कठिनाइयां दूर करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है अर्थात:

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ: --** (1) यह आदेश योजना और वास्तुकला विद्यालय (कठिनाइयां निवारण) तृतीय आदेश, 2016 कहलाएगा।

(2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2 योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014 में :--

(क) धारा 27 में, खण्ड (क) में 'सहायक प्रोफेसर' शब्द ''प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर'' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) घारा 42 में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात

(ग) वित्त समिति, शैक्षणिक परिषद, कार्यकारी परिषद, भवन और निर्माण समिति और प्रत्येक स्कूल की ऐसी अन्य समितियां, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के तत्काल पहले प्रत्येक विद्यालय में कार्य कर रही थीं, नई वित्त समिति, शैक्षणिक समिति, कार्यकारी समिति, भवन और निर्माण समिति और अन्य ऐसी समितियों का गठन होने तक, लगातार कार्य करती रहेंगी किन्तु, नई वित्त समिति, शैक्षणिक परिषद, कार्यकारी परिषद, भवन और निर्माण समिति तथा ऐसी ही अन्य समितियों के गठन होने पर वित्त समिति, शैक्षणिक परिषद, भवन और निर्माण समिति तथा ऐसी अन्य समितियों के सदस्य इन पदों पर नहीं रहेंगे।

[फा. सं. 3-11/2015-टी.एस.VI]
एस. पी. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

ORDER

New Delhi, the 30th June, 2016

S.O. 2268(E).—Whereas the School of Planning and Architecture Act, 2014 (37 of 2014) (hereinafter referred to as the said Act) came into force on 22nd day of January, 2015;

And, whereas, clause (a) of the section 27 of the said Act provides for the appointment of the Staff of every School by the Board, if the appointment is made on the academic staff in the post of Assistant Professor or if the appointment is made on the non-academic staff in every cadre the maximum of the pay scale of which exceeds prevalent grade pay scale for Group 'A' Officers;

And, whereas, the following difficulty has arisen in giving effect to the provisions of clause (a) of section 27 that the provision for other posts i.e. Professors, Associate Professors etc**.** have not been included in the said section;

And, whereas, further clause (c) of section 42 of the said Act provides that the Board of Governors, Finance Committee, Academic Council, Executive Council, Building and Works Committee and such other Committees of every School functioning as such immediately before the commencement of this Act shall continue to so function until a new Board is constituted for the School under this Act, but on the constitution of a new Board under this Act, the members of the Board of Governors, Finance Committee, Academic Council, Building and Works Committee and such other Committees holding office before such constitution shall cease to hold office;

And, whereas, the following difficulty has arisen in giving effect to the provisions of clause (c) of the section 42 that once a new Board is constituted for the School, the Finance Committee, Academic Council, Executive Council, Building and Works Committee and such other Committees of every School functioning as such immediately before the commencement of this Act become non-functional leading to the state of vacuum in the absence of these important Committees and moreover, the constitution of Finance Committee and Building and Works Committee has been envisaged under First Statute of the School of Planning and Architecture Act, 2014 which are under way and may take some more time in their finalisation. However, these Committees being important in discharging the day to day activities and for the better functional aspects at the School level, the functionality of these Committees is of high importance.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 40 of the said Act, the Central Government hereby makes the following Order to remove the aforesaid difficulties, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) This order may be called the School of Planning and Architecture (Removal of Difficulties) Third Order, 2016.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the School of Planning and Architecture Act, 2014(37 of 2014),-

(a) in section 27, in clause (a), for the words "Assistant Professor", the words "Professor or Associate Professor or Assistant Professor" shall be substituted;

(b) in section 42, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) the Finance Committee, Academic Council, Executive Council, Building and Works Committee and such other Committees of every School functioning as such immediately before the commencement of this Act shall continue to so function until a new Finance Committee, Academic Council, Executive Council, Building and Works Committee and such other Committees of every School is constituted, but on the constitution of a new Finance Committee, Academic Council, Executive Council, Building and Works Committee and such other Committees, the members of the Finance Committee, Academic Council, Building and Works Committee and such other Committees holding office before such constitution shall cease to hold office;".

[F. No. 3-11/2015-TS.VI]
S. P. GOYAL, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.